-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी के आभूषण सहित नगद रुपए बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 12.08.2025 को थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जो थाना गिरवां क्षेत्र के सरस्वाह व दुर्गापुर में कुछ माह पूर्व चोरी किया था इस समय वह गिरवां मनीपुर मार्ग पर है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर युवक को हिरासत में लिया गया। तलाशी में के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित सफेद धातु के आभूषण व नगद रुपये बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने फरवरी महिने में दुर्गापुर में तथा मार्च में ग्राम सरस्वाह में चोरी किया था ये आभूषण और नगदी उसी चोरी के है। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, आभूषण व नगदी को कब्जे में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस
- 02 चूड़ी सफेद धातु (चोरी के)
- 3010 रुपए नगद (चोरी के आभूषण बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय पुत्र गुम्मन राजपूत निवासी पैगम्बरपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 71/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 37/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 249/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष गिरवां
2. म0उ0नि0 नीतू सिंह
3. उ0नि0 श्री दारा सिंह
4. कां0 गजेन्द्र सिंह
5. कां0 आशीष